



## छत्तीसगढ़ विधान सभा

मार्च, 2023 सत्र

### दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 16 मार्च, 2023 (फाल्गुन 25, 1944)

समय 11:00 बजे दिन

#### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

#### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022 पटल पर रखेंगे।
- (2) श्री रविन्द्र चौबे, पशुधन विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे।
- (3) श्री रविन्द्र चौबे, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) के पद (च) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 पटल पर रखेंगे।
- (4) श्री अमरजीत भगत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का अटारहवां का वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2019-2020 पटल पर रखेंगे।

#### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

- (1) श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य, महासमुंद जिले के धान खरीदी केन्द्र गौरटेक में फर्जी तौल पत्रक बनाकर अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (2) श्री आशीष कुमार छाबड़ा, सदस्य, नगरपालिका परिषद बेमेतरा में जल प्रदाय आवर्धन योजना में अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

#### 4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री धनेन्द्र साहू, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

#### 5. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, जांजगीर-चांपा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत—
  - (i) नैला स्थित रेल्वे फाटक पर ओव्हरब्रिज निर्माण करने,
  - (ii) ग्राम सिऊड़ में हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,
  - (iii) विकासखण्ड मुख्यालय नवागढ़ में आई.टी.आई. खोलने,
- (2) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, बिल्हा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दगौरी में विद्युत सब स्टेशन खोलने,
- (3) श्रीमती छन्नी चंदू साहू, सदस्य, खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धनगांव से हालाडुला के मध्य कुलापा नाली निर्माण करने,
- (4) श्रीमती ममता चंद्राकर, सदस्य, पण्डरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत—
  - (i) ग्राम सोमनापुर से मोतेसरा सड़क निर्माण करने तथा
  - (ii) ग्राम करही में पूर्व माध्यमिक शाला भवन निर्माण करने,के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

#### 6. वित्तीय वर्ष 2023-2024 की अनुदान मांगों पर चर्चा

निर्धारित समय

2 घंटे 30 मिनट (1)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री के विभागों से संबंधित—

मांग संख्या	1	सामान्य प्रशासन
मांग संख्या	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
मांग संख्या	6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय
मांग संख्या	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	32	जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मांग संख्या	65	विमानन विभाग

क्रमशः ..... 3

निर्धारित समय

2 घंटे (2)

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री के विभागों से संबंधित—

मांग संख्या	28	राज्य विधान मण्डल
मांग संख्या	13	कृषि
मांग संख्या	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	16	मछलीपालन
मांग संख्या	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय
मांग संख्या	23	जल संसाधन विभाग
मांग संख्या	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य
मांग संख्या	75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
मांग संख्या	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
मांग संख्या	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

रायपुर,  
दिनांक 15 मार्च, 2023

दिनेश शर्मा  
सचिव  
छत्तीसगढ़ विधान सभा